

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1524 / 2014 / चूरु

सहायक आयुक्त  
वाणिज्यिक कर, चूरु

बनाम

अपीलीर्थी

मैसर्स जैन स्टोर  
तारानगर

प्रत्यर्थी

क्रास आब्जेशन संख्या 1954 / 14 / चूरु

मैसर्स जैन स्टोर  
तारानगर

बनाम

अपीलार्थी

सहायक आयुक्त  
वाणिज्यिक कर, चूरु

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी(विभाग) की ओर से

श्री सुरेश ओझा

अभिभाषक


प्रत्यर्थी (व्यवहारी)की ओर से

निर्णय दिनांक 26.5.2015

निर्णय

अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, चूरु (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 247 / आरवैट / चूरु / 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2013 के विरुद्ध पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि क्रास आब्जेशनकर्ता व्यवहारी का वर्ष 2001-02 का मूल कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2003 को पारित किया गया था, जिसमें टर्नओवर टैक्स रु. 12,759/- आरोपित किया गया। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने छूटे गये टर्नओवर टैक्स रु. 12,759/- मय ब्याज आरोपित करने हेतु व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रस्तुत उत्तर से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष का अधिनियम की धारा 30 एवं 11बी के अन्तर्गत पुनः खोलकर दिनांक 25.02.2011 को आदेश पारित कर टर्नओवर टैक्स रु. 12,759/- एवं ब्याज रु. 12,954/- कुल रु. 25,713/- की मांग सृजित की गई है। उक्त आदेश दिनांक 25.02.2011 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत उक्त आदेश मूल आदेश पारित होने से पांच वर्षों के भीतर नोटिस दिया जाना अनिवार्य था, जो इस प्रकरण में नहीं दिया गया है, के आधार पर आरोपित टर्नओवर एवं ब्याज को अपास्त कर अपील स्वीकार की




-2-अपील संख्या 1524/2014 एवं क्रास आब्जेशन संख्या 1954/14/चूरु है,जिसके विरुद्ध विभाग की ओर से अपील एवं व्यवहारी की ओर से क्रास अब्जेशन प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि क्रास आब्जेशनकर्ता व्यवहारी का वर्ष 2001-02 कर मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.01.2003 को पारित किया गया है जिसमें छूट गये टर्नओवर टैक्स पर टर्नओवर टैक्स मय ब्याज आरोपित करने हेतु अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत प्रकरण को खोलकर दिनांक 25.02.2011 को आदेश पारित कर टर्नओवर टैक्स एवं ब्याज कुल रू 25,713/-आरोपित किया गया है,जो उचित है। उनका कथन है कि उक्त टर्नओवर टैक्स एवं ब्याज को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने अपास्त किया है,जो पूर्णतः अविधिक है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2013 को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने के साथ व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत क्रास आब्जेशन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

क्रास अब्जेशनकर्ता प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 25.02.2011 को पारित किया गया है,जो मूल कर निर्धारण आदेश के 10 वर्ष के बाद पारित किया गया है, जो अवधिपार है। उनका कथन है कि मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.3004 को ही पारित किया जा चुका था और अधिनियम की धारा 30 में प्रावधान है कि सम्बन्धित अवधि समाप्ति के 5 वर्ष के बाद नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है एवं न ही 8 वर्षों बाद उक्त धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण ही पारित किया जा सकता है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के अनुसार संशोधन आदेश पूर्णतः अवधिपार एवं अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक स्थिति की विवेचना करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों को दोहराते हुए क्रास आब्जेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के साथ ही साथ विभाग की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रास आब्जेशनकर्ता व्यवहारी का वर्ष 2001-02 का मूल कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2003 को पारित किया गया था,जिसमें टर्नओवर टैक्स रू. 12,759/-आरोपित किया गया। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने छूटे गये टर्नओवर टैक्स रू. 12,759/- मय ब्याज आरोपित करने हेतु व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में



प्रस्तुत उत्तर से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष का अधिनियम की धारा 30 एवं 11बी के अन्तर्गत पुनः खोलकर दिनांक 25.02.2011 को आदेश पारित कर टर्नओवर टैक्स रू. 12,759/- एवं ब्याज रू. 12,954/- कुल रू. 25,713/-की मांग सृजित की गई है, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

उक्त बिन्दु पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व अधिनियम की धारा 30 को उद्धरित किया जाना समीचीन है। अधिनियम की धारा 30 निम्न प्रकार है :-

"30. Escaped Assessment.- (1) An assessment-(a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or  
(b) Wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed an escaped assessment and the assessing authority shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section(3)

Explanation.- The assessment under this section shall not include that part of business which has already been assessed under section 29.

(2) Where the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in any order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court."

अधिनियम की उक्त धारा के पठन से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत उक्त आदेश मूल आदेश के पांच वर्षों के भीतर नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 25.02.2011 को पारित किया है, किन्तु आदेश पारित करने से पूर्व कोई भी नोटिस प्रत्यर्थी को जारी नहीं किया गया है, क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता तो कि कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस जारी किया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पारित किया गया आदेश अविधिक होने के साथ ही साथ अवधिपार भी है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक स्थिति का अपीलाधीन आदेश में वर्णित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 25.02.2011 को अपास्त किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

फलतः अपीलीया अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2013 की पुष्टि करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर क्रास आब्जेशन स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा )  
सदस्य